27/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित है। वादी स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नही है। बार-बार आवाज लगवाई गई परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नही है।

अतः राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर रेखांकित होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)